

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-3
संख्या- 13/2017/1860/37-3-2017-3(05) / 2016 टी0सी0
लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2017
कार्यालय-आदेश

डा० जे०पी०एन० सिंह, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, फैजाबाद के पद से अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्त हुए। डा० जे०पी०एन० सिंह से मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, फैजाबाद का चार्ज डा० जी०एन० सिंह द्वारा लिया गया, जो तत्समय प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद भी थे। सेवानिवृत्ति के समय डा० जे०पी०एन० सिंह द्वारा कैशबुक का चार्ज हस्तगत नहीं किया गया, जो डा० जी०एन० सिंह के कार्यकाल तक नहीं हो सका। डा० कृष्ण शंकर सिंह तत्कालीन अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा कैशबुक का चार्ज लेने के संबंध में गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया। उनके द्वारा डा० जी०एन० सिंह तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, फैजाबाद सम्प्रति अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल, बरेली को कैशबुक का चार्ज लेने हेतु निर्देशित नहीं किया गया और न ही तत्समय शासन को अवगत कराया गया। इस संबंध में डा० जे०पी०एन० सिंह के पत्र दिनांक 22.04.2017 में की गयी शिकायतों के क्रम में शासन के पत्र संख्या-155/37-3-2017, दिनांक 18.05.2017 द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ को डा० कृष्ण शंकर सिंह तत्कालीन अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

2- डा० कृष्ण शंकर सिंह का स्पष्टीकरण निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-231/स्था०-3/53बी(309), दिनांक 30.06.2017 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ। डा० सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अवगत कराया गया है कि डा० जे०पी०एन० सिंह की सेवानिवृत्ति के लगभग ०६ माह बाद उनके द्वारा डा० जी०एन० सिंह से अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद का चार्ज दिनांक 22.07.2014 को प्राप्त किया गया। कैशबुक के प्रभार के संबंध में जिन पत्रों का उल्लेख डा० जे०पी०एन० सिंह द्वारा अपने शिकायती पत्र में किया गया है, उक्त अवधि में डा० जी०एन० सिंह ही प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद थे। डा० कृष्ण शंकर सिंह के योगदान के पश्चात् यह प्रकरण तत्काल उनके संज्ञान में नहीं लाया गया, किन्तु जब प्रकरण उनके संज्ञान में आया तो उनके द्वारा वस्तुस्थिति से निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ को तत्काल अवगत कराया गया तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की गयी, जिसके फलस्वरूप कैशबुक का सम्पूर्ण चार्ज मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद द्वारा प्राप्त कर लिया गया।

3- शासन के पत्र संख्या-1372/37-3-2017-3(05)/2016 टी.सी., दिनांक 06.10.2017 द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ को प्रकरण में निहित किसी शासकीय क्षति संबंधी सुस्पष्ट सूचना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जो उनके पत्र संख्या-480/स्था०-३/५३बी(३०९), दिनांक 11.10.2017 द्वारा शासन को प्राप्त हुई, जिसमें किसी शासकीय क्षति का उल्लेख नहीं किया गया है।

4- शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र, अपचारी अधिकारी के स्पष्टीकरण, निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग द्वारा शासकीय क्षति के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना/आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त डा० जे०पी०एन० सिंह द्वारा डा० कृष्ण शंकर सिंह के संबंध में की गई शिकायतों को बलहीन पाया गया है तथा उनके द्वारा प्रकरण में किसी शासकीय धनराशि की क्षति की पुष्टि नहीं हुई है।

5- अतः एतद्द्वारा श्री राज्यपाल डा० कृष्ण शंकर सिंह, तत्कालीन अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध डा० जे०पी०एन० सिंह द्वारा की गई शिकायतों को समाप्त/निक्षेपित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डॉ० सुधीर एम० बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2017/1860 (1) /37-3-2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
- 3- सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-2, द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, ३०प्र० लखनऊ।
- 5- पशुधन अनुभाग-1।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।